

L.A.

15/78.164

Cap. 2

156307



आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1978]

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 17 अप्रैल, 1978 ई 0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 19 अप्रैल, 1978 ई 0 की बैठक में स्वीकृत किया ।)

[‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राज्यपति ने दिनांक 26 अप्रैल, 1978 ई 0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिषिष्ट के भाग 1-खंड (क) में दिनांक 27 अप्रैल, 1978 ई 0 को प्रकाशित हुआ ।]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उत्तीर्णवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा ।

(2) इसे 23 फरवरी, 1978 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 15 अप्रैल, 1978 ई 0 का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिषिष्ट का भाग 3-खंड (क) देखिये ।]

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

PRICE 15 PAISE

अधिनियम संख्या
10, सन् 1955
की धारा 2 का
संशोधन

2—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1975, जिसे आगे उत्तर प्रदेश संशोधन कहा गया है, द्वारा बढ़ाया गया खण्ड (क), दिनांक 2 सितम्बर, 1976 से, जोकि आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1976 के, जिसे आगे केन्द्रीय संशोधन कहा गया है, प्रारम्भ का दिनांक है निकाल दिया जायगा।

धारा 3 का संशोधन

3—(1) मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (2) में, आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1975 के साथ पठित उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा यथा प्रतिस्थापित खण्ड (च) निकाल दिया जायगा और केन्द्रीय संशोधन के प्रारम्भ के दिनांक से निकाल दिया गया समझा जायगा।

(2) उक्त उपधारा में, केन्द्रीय संशोधन द्वारा यथा प्रतिस्थापित खण्ड (च) में, स्पष्टीकरण-1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

“स्पष्टीकरण 1-क—चावल के सम्बन्ध में इस खण्ड के अधीन दिये गये आदेश में, चावल मिल की कूटने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, अनुज्ञात मिल वालों द्वारा विक्रय किया जाने वाला परिमाण नियत किया जा सकेगा और श्रेणी के आधार पर भी ऐसा परिमाण नियत किया जा सकेगा या नियत किये जाने का उपबन्ध किया जा सकेगा।”

(3) उक्त धारा 3 में, उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा यथा संशोधित उपधारा (3-ख) निकाल दी जायगी और केन्द्रीय संशोधन के प्रारम्भ के दिनांक से निकाल दी गयी समझी जायगी।

धारा 6-क, और
6-ग का प्रतिस्थापन

निरसन और
अपवाद

4—मूल अधिनियम में, उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा यथा संशोधित या प्रतिस्थापित धारा 6-क और 6-ग के स्थान पर क्रमशः केन्द्रीय संशोधन द्वारा यथा संशोधित या प्रतिस्थापित धारा 6-क और 6-ग रख दी जायेगी और केन्द्रीय संशोधन के प्रारम्भ के दिनांक से रखी गयी समझी जायगी।

5—(1) आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवत्त थे।

उ० प्र
अध्यादेश
संख्या ८
सन् १९